534

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

I/निगरानी/पन्ना/भू-रा/2017/1818

प्र.क. /2017 निगरानी

श्री एस. पी. धाकड़ एड.
द्वारा आज दि. 20.06.17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अजय सिंह पुत्र के0बी0 सिंह ठाकुर निवासी बार्ड क. 06 अमानगंज तहसील अमानगंज जिला पन्ना म0प्र0

.........आवेदक

बनाम

टीकमसिंह उर्फ पप्पू पुत्र चन्द्रभान सिंह ~~ठाकुर~~ निवासी गड़ोखर हाल निवास अमानगंज तहसील अमानगंज जिला पन्ना म0प्र0

20.6.17

............अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु0वि0अधि0 गुनौर जिला पन्ना के प्र.क. 64/बी–121/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के तथ्य :–

यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक के आराजी सर्वे क. 155 रकवा 0.014 हें. अर्थात क्षेत्रफल 150X10 अमानगंज के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2017/1818 अजयसिंह विरूद्ध टीकमसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गनौर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 64/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 08-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 20-06-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

25/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य